

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी मुंगेली, वनमण्डल मुंगेली (छ.ग.)

Email – dfo.mungeli@cg.gov.in, dfomungeli@gmail.com

क्र./मा.चि./ 136

2021/मुंगेली, दिनांक 11/02/2021

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
बिलासपुर वृत्त
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- Proposed for non-forestry use of 255.300 ha. Forest land under Forest Conservation Act, 1980 in favour of Dy. Director Achanakmar Tiger Reserve (ATR) for Relocation of villages in Mungeli Forest Division from the Core Area of ATR in Bilaspur District (Chhattisgarh) – regarding

संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छत्तीसगढ़, रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/मा.चि./115-818/181 दिनांक 25.01.2021
2. उप संचालक अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी का पत्र क्र./स्टेनो/3620 दि० 31.12.2020

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी, छिरहट्टा रकबा 255.300 हेक्ट. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से 07 बिन्दुओं की चाही गई अतिरिक्त जानकारी में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा 03 बिन्दुओं में कमियों पाई गई, जिसे आवेदक संस्थान उप संचालक/अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी से प्राप्त कर निम्नानुसार है: —

1. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली के गाईडलाईन F No. 3-1/2003-PT (Relocation) Feb 2008 में दिये गये निर्देश के तहत Government of India Ministry of Environment & Forests (FC Division) Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex Lodhi Road, New Delhi-110510 Dated 10th September 2008 के द्वारा अचानकमार टायगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित 06 ग्रामों जल्दा, कूबा, बहाउड़, बांकल, बोकराकछार, सांभरधसान के 249 परिवारों का व्यवस्थापन बिलासपुर एवं मरवाही वनमण्डल के 572.700 हे वनक्षेत्रों में किये जाने हेतु भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई थी (छायाप्रति संलग्न प्रेषित हैं) तथा Government of India Ministry of Environment & Forests National Tiger Conservation Authority Annexe No.5 Bujaber House. Shahjahan Road, New Delhi - 110511 Dated the 2th September 2009 के द्वारा अचानकमार टायगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित 06 ग्रामों जल्दा, कूबा, बहाउड़, बांकल, बोकराकछार, सांभरधसान के 249 परिवारों का व्यवस्थापन हेतु राशि 1367.84 lakhs (Rupees One Thousand Three Hundred Sixty Seven Lakhs and Eighty Four Thousand Only) की स्वीकृति प्रदान की गई थी (छायाप्रति संलग्न प्रेषित हैं)।

2. अचानकमार टायगर रिजर्व अंतर्गत द्वितीय चरण के तहत व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के द्वारा रिक्त की जा रही क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे नहीं कराया गया है उक्त क्षेत्र का के.एम.एल. एवं सेप फाईल संलग्न प्रेषित हैं।
3. अचानकमार टायगर रिजर्व अंतर्गत द्वितीय चरण के तहत व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा का व्यवस्थापन प्लान संलग्न प्रेषित हैं।

अतः उपरोक्तानुसार 03 बिन्दुओं की पूर्ति कर चाही गई जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर संलग्न संप्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ. क्र./मा.चि./ 137

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, और क्षेत्रीय निदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. उप संचालक अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी को सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल मुंगेली (छ.ग.)
2021/मुंगेली, दिनांक 11/02/2021

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल मुंगेली (छ.ग.)